

Website  
COPY  
Get

विवरण:

हिंप्र० अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित शिक्षा वृण्ण योजना को वैवासाईट पर रखने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

CCDC

02

10/4/18


6/4/18

हिंप्र० अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया कि निगम द्वारा संचालित शिक्षा वृण्ण योजना को शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग की वैवासाईट में सम्मिलित करवाए जाने का अनुरोध किया गया । निगम द्वारा संचालित उक्त योजना बारे संक्षिप्त जानकारी निम्न प्रकार से है:-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवारों के युवाओं/युवतियों को मैट्रिक तथा 10+2 के बाद तकनीकी एवं व्यवसायिक विषयों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु ब्याज मुक्ति अध्ययन वृण्ण दिया जाता है । वृण्ण प्राप्त करने हेतु ऐसे छात्र जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से कम हो, वृण्ण प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं । इस योजना की अधिकतम वृण्ण सीमा पॉच वर्षीय डिग्री/कोर्स के लिए 75,000/-रु० है जो आवेदक के पक्ष में दो किस्तों में जारी की जाती है । इस प्रकार के वृण्णों में कोई ब्याज नहीं लिया जाता है । यह पूर्ण राशि ब्याज रहित होती है ।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त यह निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं/युवतियों को जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 98,000/-रु० तथा शहरी क्षेत्रों में 1,20,000/-रु० से कम हो, उन्हें 6% ब्याज पर वृण्ण दिए जाते हैं । उपरोक्त योजना से सम्बन्धित विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है ।


अतः आपसे अनुरोध है कि निगम की उपरोक्त शिक्षा वृण्ण योजनाओं को अपने विभाग की वैवासाईट में शामिल करने की कृपा करें ताकि निगम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिक-से-अधिक पात्र युवा/युवतियों को वृण्ण प्रदान कर सके ।

प्रबन्ध निदेशक ।  


दिनांक

पृ०संस्था-यथोपरि-

प्रतिलिपि:

अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) हिंप्र० सरकार, शिमला-2 से अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार सम्बन्धित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा की जाए ।  


4) वित्तीय संस्थाओं का वृण्ण दोषी न हो ।

## ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण योजना ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के निर्धन परिवारों के मेधावी छात्र जो धन के अभाव से अपनी व्यवसायिक व तकनीकी उच्च शिक्षा अध्ययन को जारी नहीं रख सकते हैं उनके लिए निगम शिक्षा ऋण प्रदान करता है ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सकें ।

### योजना की मुख्य विशेषतायें:-

#### (क) योजना:

1) मैट्रिक स्तर के ऊपर व्यवसायिक एवं तकनीकी विषयों में मान्य प्राप्त शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाना ।

2) ऋण सीमा:- : 5 वर्ष के अध्ययन के लिए अधिकतम ऋण मुद्रा 75,000/-₹0

3) ब्याज दर : ब्याज मुक्त

4) अनुमोदित विषय/कोर्स : एम0बी0बी0एस0, एम0डी0, एम0एस0, जी0एम0एस0, नर्सिंग, एल0एल0बी0 पी0एच0डी0, बी0एड, जै0बी0टी0, तकनीकी डिप्लोमा व डिग्री, होटल मैनेजमेन्ट, पायलट प्रशिक्षण, कृषि बागवानी में स्नातकोत्तर अध्ययन इत्यादि ।

(ख) वित्तीय स्त्रोतः: हिमाचल प्रदेश एवं अनुजाति विकास निगम ।

#### (ग) पात्रता:

1) आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखता हो व हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हो ।

2) परिवार की वार्षिक आय मुद्रा 1,00,000/-₹0 से कम हो ।

3) मान्य प्राप्त शिक्षा संस्थान का नियमित छात्र हो ।

4) वित्तीय संस्थाओं का ऋण दोषी न हो ।

## शिक्षा वृण्ण योजना (एनएसएफडीसी/एनएसटीएफडीसी)।

निगम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के निर्धन परिवारों के मेधावी छात्रों/छात्राओं जो धन के अभाव से अपनी व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा अध्ययन को जारी नहीं रख सकते हैं, उनके लिए शिक्षा वृण्ण राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के सौजन्य से अनुमोदित व्यवसायों में वृण्ण प्रदान करवाता है ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सके।

### योजना की मुख्य विशेषताएँ।

क्र०सं०	विवरण	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(i)	वृण्ण सीमा अधिकतम	मु0 10.00 लाख रुपये	मु0 5.00 लाख रुपये
(ii)	ब्याज दर	4% वार्षिक महिलाओं के लिए 0.5% की ब्याज में छूट	6% वार्षिक
(iii)	वृण्ण अदायगी अवधि	मु0 7.50 लाख रुपये तक = 10 वर्ष मु0 7.50 लाख रुपये से अधिक 10.00 लाख रु0 तक = 15 वर्ष	5 वर्ष
(iv)	वित्तीय स्रोत	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के सौजन्य से सीधे तौर पर।	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के सौजन्य से सीधे तौर पर।
(v)	पात्रता	1) परिवार की वार्षिक आय सीमा:- क) ग्रामीण क्षेत्र मु0 98,000/-रु0 ख) शहरी क्षेत्र मु0 1,20,000/-रु0	1) परिवार की वार्षिक आय सीमा:- क) ग्रामीण क्षेत्र मु0 98,000/-रु0 ख) शहरी क्षेत्र मु0 1,20,000/-रु0
		2) आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। 3) वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्ध रखता हो। 4) मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान का नियमित छात्र हो। 5) आवेदक किसी बैंक या किसी अन्य वृण्ण देने वाली संस्था का वृण्ण दोषी नहीं होना चाहिए।	2) आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। 3) वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्ध रखता हो। 4) मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान का नियमित छात्र हो। 5) आवेदक किसी बैंक या किसी अन्य वृण्ण देने वाली संस्था का वृण्ण दोषी नहीं होना चाहिए।